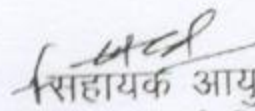


प्रेस विज्ञप्ति

आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 6044 एवं 6046 दिनांक 09-01-2025 के अनुक्रम में जिले की समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों/ संचालकों को सूचित किया जाता है, MP TAAS पोर्टल एवं NIC 2.0 की अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना अंतर्गत नवीन एवं नवीनीकरण के लिये वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 हेतु पोर्टल खोला गया है। अतः नियमानुसार पात्र छात्र - छात्राओं के छात्रवृत्ति एवं आवास के आवेदन कराये।


सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग सागर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सागर (म0प्र0)
क0 / पीएमएस / आ0वि0 / 2024-25 / 1481

सागर दिनांक 10/01/2025

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म0प्र0)

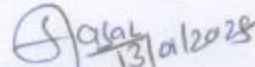
क्रमांक/एस.सी.एस.टी.सेल/2024-25/ 237

दिनांक: 10.01.2025
13

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला-सागर की प्रेस विज्ञप्ति क्र0/पीएमएस/आ0वि0/2024-25/1481 सागर, दिनांक 10.01.2025 अनुसार MPTAAS पोर्टल एवं NIC 2.0 अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना अंतर्गत नवीन एवं नवीनीकरण के लिये वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 हेतु पोर्टल खोला गया है। अतः संबंधित वर्ग के विद्यार्थी उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करें एवं आवेदन की हार्डकापी अपने से संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय में शीघ्र जमा करें।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, डॉ0हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)-कृपया संबंधित छात्रों को उक्त संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल-द्वारा-संबंधित छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियों-सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलसचिवजी के निज सहायक-सूचनार्थ प्रेषित।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला- सागर (म.प्र.)- सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल-कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।


(डॉ0 उतसव आनंद)

प्रोफेसर इंचार्ज

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

क0.से./एस.टी.सेल/SC/ST Cell
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)